भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1540

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

6 श्रावण, 1943 (शक)

चेहरे से पहचान करने वाली प्रौद्योगिकी

1540. श्री अभिषेक बनर्जी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा चेहरे से पहचान करने वाली प्रौद्योगिकी (एफआरटी) का अध्ययन किया है और इससे उत्पन्न होने वाली निजता संबंधी चिंताओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केंद्र सरकार की ऐसी एजेंसियां कौन सी हैं जो वर्तमान में उक्त एफआरटी प्रौद्योगिकी को नियोजित कर रही हैं अथवा नियोजित करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का एफआरटी के साथ आधार को एकीकृत करने वाली प्रणाली लागू करने का विचार है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) : फेशियल रिकॉग्निशन किसी व्यक्ति को उसके चेहरे का उपयोग करके पहचानने या पुष्टि करने का एक तरीका है। फ़ोटो, वीडियो या वास्तविक-समय में लोगों की पहचान करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को नियोजित करने वाले किसी भी समाधान को गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान करना चाहिए।

(ग) : फेशियल रिकग्निशन प्रौद्योगिकी फेस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म से अलग है जो व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद प्रमाणीकरण के लिए वन-टू-वन फेस मैचिंग का उपयोग करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सहमति-आधारित ढांचे के माध्यम से छात्रों को डिजिटल मार्कशीट प्रदान करने के लिए वन-टू-वन फेस मैचिंग का उपयोग कर रहा है।

(घ) : जी, नहीं। यूआईडीएआई आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन विकसित कर रहा है, जो वर्तमान में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) चरण में है। व्यक्ति की सूचित सहमति के साथ बायोमेट्रिक और आईरिस-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अलावा प्रमाणीकरण तंत्र में से एक के रूप में चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा सकता है।

****